

कार्यालय नगर परिषद, सीकर

214-276

मण्डल बैठक कार्यवाही

05/3/2014

नगर परिषद, सीकर के मण्डल की विशेष स्थगित बैठक का आयोजन सभापति नगर परिषद, सीकर की अध्यक्षता में दिनांक 23.02.2014 को सुबह 11.00 बजे परिषद के सभा भवन में किया गया, बैठक में निम्न माननीय महानुभाव उपस्थित हुए :-

1. श्रीमति राजेश्वरी - सभापति
2. श्री रतन जी जलधारी - माननीय विधायक
3. श्रीमति विमल कुल्हरी - उपसभापति
4. श्री मोहम्मद शाकीर - पार्षद
5. श्रीमति रुकिया बानो - पार्षद
6. श्रीमति हव्वा - पार्षद
7. श्री रामअवतार सांखला - पार्षद
8. श्रीमति पार्वती देवी - पार्षद
9. श्री मोहम्मद सदीक - पार्षद
10. श्री रमेशचन्द - पार्षद
11. श्री विनोद कुमार सेठी - पार्षद
12. श्री मोहम्मद मुश्ताक - पार्षद
13. श्रीमति फरीदा बानो - पार्षद
14. श्रीमति नसीम/मुबारक - पार्षद
15. श्रीमति शकीला/अब्दुल जब्बार - पार्षद
16. श्री विजय कुमार शर्मा - पार्षद
17. श्री जगदीश कुमावत - पार्षद
18. श्रीमति परमेश्वरी देवी - पार्षद
19. श्री मोहम्मद सलीम - पार्षद
20. श्री मोहम्मद रफीक - पार्षद
21. श्री महिपाल मीणा - पार्षद
22. श्री सत्यत सिंह - पार्षद

23. श्रीमति सुमन दीक्षित — पार्षद
24. श्रीमति सुबे दोलत — पार्षद
25. श्री गोपाल सिंह — पार्षद
26. श्री बाबुलाल शर्मा — पार्षद
27. श्रीमति सम्पत खीचड़ — पार्षद
28. श्री प्रहलाद सैनी — पार्षद
29. श्रीमति सावित्री देवी — पार्षद
30. श्री मोहम्मद फारुक — पार्षद
31. श्रीमति तसलीम बानो — पार्षद
32. श्रीमति किरण/विनोद — पार्षद
33. श्री जीवण खां — पार्षद
34. श्री शिवकुमार — पार्षद
35. श्री गिरधारीलाल — पार्षद
36. श्रीमति सुशीला देवी — पार्षद
37. श्रीमति सरोज देवी — पार्षद
38. श्रीमति लक्ष्मी देवी — पार्षद
39. श्रीमति माया शर्मा — पार्षद
40. श्रीमति शारदा देवी — पार्षद
41. श्रीमति आबिदा बानो — पार्षद
42. श्री मोहम्मद इमरान — पार्षद

आज दिनांक 23.02.2014 को सुबह 11.00 बजे कोरम पूर्ण होने पर सभापति महोदय श्रीमति राजेश्वरी देवी की अध्यक्षता में 19.02.2014 को स्थगित बैठक की पुनः कार्यवाही शुरू हुई।

सभापति ने सर्व प्रथम उपस्थित सभी पार्षदगण, विधायक महोदय, अधिकारीगण/कर्मचारी व प्रेस जगत के प्रतिनिधियों का स्वागत किया एवं कार्यवाही पुनः शुरू की गई।

प्रस्ताव संख्या 1 :- वित्तीय वर्ष 2013-14 का संशोधित बजट अनुमान एवं वर्ष 2014-15 का बजट अनुमान पर विचार एवं स्वीकृति।

माननीय पार्षद श्री विजय कुमार ने जानना चाहा कि नगर परिषद में वाहन अधिक आ गये हैं जबकि ड्राइवर कम हैं। आज 6 फायर गाड़ी हैं एवं अन्य वाहन हैं। फायर गाड़ी पर तीन-तीन ड्राइवर होने से 18 ड्राइवर होने चाहिये एवं अन्य गाड़ियों

पर 26 ड्राइवर होने चाहिये। अतः तीस चालक पदों के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति ली जानी चाहिये।

भूमि विक्रय की 20.00 करोड़ रुपये आय दर्शाई गई है। जबकि नगर परिषद में काफी आय है। अतः भविष्य के लिये भूमि रखी जानी उचित है। जब आवश्यकता होतो विक्रय कर दी जावे। इस पर सभापति महोदया ने अवगत कराया की राणीसती के पास पूर्व में भू-खण्डों की निलामी की गई थी जिसकी 1/4 राशि जमा करा दी गई एवं 3/4 राशि जमा नहीं कराई गई। अतः उक्त राशि जब्त की जाकर निलामी निरस्त कर दी गई थी। उक्त भू-खण्डों की पुनः निलामी का प्रावधान रखा गया है। जिस पर माननीय पार्षद श्री जीवण खां ने भी सहमति दी। माननीय पार्षद श्री विजय कुमार ने कहा कि वर्तमान में काफी बाहन है लेकिन खड़े रहने के लिये गैरेज में सैड नहीं है। अतः सैड निर्माण के लिये 30.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा जाना चाहिये। विद्युत व्यवस्था हेतु भी 3 जोन बनाये जाने चाहिये। माननीय पार्षद श्री जीवण खां एवं श्री सम्पत सिंह ने कहा कि स्ट्रीट लाईट वायर विस्तार हेतु 300 लाख रुपये रखे गये है। जबकि शहर बढ़ता जा रहा है। अतः इसमें भी प्रावधान 600 लाख का होना चाहिये।

माननीय पार्षद श्री मुश्ताक तंवर ने कहा कि निर्वन्ध राशि में इस बार प्रावधान नहीं रखा है, जो कि रखा जाना चाहिये। सफाई कर्मचारियों की भत्तों का प्रावधान है या नहीं ? नगरीय विकास कर, विवाह स्थलों पर शुल्क, भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र, विज्ञापन, दण्ड व शारित्तियों आदि में आय मद में राशि कम दर्शाई गई है, अतः आय बढ़ाने के लिये कर वसूली के कार्य में गति शीलता लाई जावे एवं अतिक्रमण शुल्क में आय नहीं दर्शाई गई है, इसमें भी आय का प्रावधान रखा जावे। माननीय पार्षद श्री शाकीर भारती ने कहा कि मद संख्या 410/29 में व्यय शून्य दर्शाया गया है एवं पूछा क्या स्थानीय विधायक महोदय व राज्य सरकार विकास के लिये पैसे नहीं देग ? इस पर माननीय विधायक महोदय ने कहा कि निर्वन्ध राशि के रूप में राज्य सरकार से अधिक से अधिक राशि लाने का प्रयास करूंगा और गतवार से ज्यादा राशि लाने की कोशिश करूंगा और सब मिलकर शहर का विकास करेंगे। जिसमें कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। माननीय श्री गोपाल पार्षद ने निर्वन्ध राशि में 150.00 लाख का प्रावधान रखे जाने का प्रस्ताव दिया।

कब्रिस्तानों में भी हाई मास्क लाईट नहीं है जो लगाई जानी चाहिये। माननीय पार्षद श्रीमति लक्ष्मी देवी ने कहा कि नवलगढ़ रोड़ पर बने नाले को ट्रक युनियन तक बढ़ाया जावे एवं पुलिया के पास निर्मित सम्पत्ति की क्षमता बढ़ाई जावे। नवलगढ़ रोड़ पर शलभ कॉम्पलेक्स बनवाया जावे व चौराहे का सौन्दर्यकरण किया जावे एवं थाने के पास पड़ी खाली भूमि पर पार्क बनवाया जावे। गोल्याणी शमशान स्थित शमशान भूमि पर हाई मास्क लाईट लगवाई जावे। सड़क मरम्मत व रोशनी व्यवस्था हेतु अधिक बजट का प्रावधान किया जावे।

माननीय पार्षद श्री बाबुलाल शर्मा ने कहा कि बजट में राशि बढ़ाने के जो प्रस्ताव आये हैं जो शहर के विकास के लिये हैं, हम सब को दलगत राजनीति से उपर उठकर शहर के विकास में सहयोग देना चाहिये एवं सब में आपसी सहयोग व शिष्टाचार होना चाहिये। हम सदा से सहयोग करते रहे हैं। माननीय उपसभापति ने कहा कि हमने बजट का विरोध नहीं किया था। समय कम होने के बजह से बैठक का समय बढ़ाने का आग्रह किया था। हम चाहते हैं कि बजट सर्व सम्मति से पारित हो। बाद विचार विमर्श उपरोक्त सभी संशोधित प्रस्तावों को स्वीकृत करते हुये निम्नानुसार संशोधित राशि का बजट सर्व सम्मति से पारित किया गया।

विवरण	चालू वर्ष का संशोधित अनुमान 2013-14	अगले वर्ष का बजट अनुमान 2014-15
	Rs.	Rs.
1	2	3
प्रारम्भिक शेष *	4492.52	4488.50
जोड़े :-		
राजस्व प्राप्ति	2748.29	5040.73
पूँजी प्राप्ति	5476.27	3373.15
कुल	12717.08	12902.38
घटाय :-		
राजस्व व्यय	2504.99	2920.14
पूँजी व्यय	5723.59	8665.01
अन्तिम शेष *	4488.50	1317.23
कुल	12717.08	12902.38

माननीय पार्षद मुश्ताक तवर ने कहा कि निम्नलिखित मदों के लिए राशि का प्रावधान रखा है, जबकि चुनाव व्यवस्था में प्रत्येक वर्ष के लिए इस मद में 3.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा जावे। 2000-01 सदन सत्र तथा 2000 सामाजिक संस्थाओं को अनुदान में कम राशि का प्रावधान रखा है जो बढ़ाया जाना चाहिये। जो निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

गौशाला को 11.00 लाख, सांस्कृतिक गैलरी को 10.00 लाख, जल की कवायब अरोग्य सदन को 1.50 लाख, रामा डिस्पेंसरी को 3.00 लाख, पंचम सेवा समिति को 3.00 लाख का अनुदान/सहायता दिये जाने का प्रस्ताव किया है जो चाहिए। माननीय पार्षद श्री विजय कुमार शर्मा ने कहा कि अनुदान/सहायता दी जानी चाहिये, लेकिन इसके साथ शर्तों को भी ध्यान में रखना चाहिये कि जब आवारा पशुओं को ले तो उन पर निगरानी रखी जाये जिससे मालुम हो सके कि उनको वापस नहीं छोड़ा गया है। पार्षद श्रीमती मधुशर्मा ने कहा कि दुर्घटना से बचने पर ध्यान देना चाहिये। माननीय पार्षद श्री प्रहलाद सेनी ने कहा कि जल का प्रावधान छोड़ दिया जाता है। अतः पावन्द किया जावे कि इन्हें वापस लेने से अहंशीयता बचाये। शर्मा ने कहा कि हाथ डेले वालों के लिये जगह विनिर्दिष्ट की जाये। कलेक्ट्रेट के सामने बनने वाला बाजार का प्रावधान भी माननीय पार्षद श्री शाकीर भारती ने कहा कि जल का प्रावधान निर्माण में भी 200.00 लाख का प्रावधान है जो दुगुना कर 400.00 लाख कर देना जल संचयनी को बढ़ावा देने के लिये भी प्रावधान रखा जावे। माननीय पार्षद श्रीमती मधुशर्मा ने कहा कि मद संख्या 410/30 W.B.M. सड़क, जलक कवायब को बढ़ावा देने के लिये भी प्रावधान कम है, जिसे दुगुना कर क्रमशः W.B.M. सड़क को 200.00 लाख, 2000.00 लाख व सिमेंट सड़कों को 200.00 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय पार्षद श्री मोहम्मद सदीक ने कहा कि जल कवायब को सुधारन के लिये सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिये, जो भी प्रस्तावित करने चाहें।

माननीय पार्षद श्रीमति सुवे दौलत ने तीसरे मद को लेकर कहा कि वार्ड नं. 24 पटानों के मोहल्ले में हाई मास्टर बनाई जाना चाहिये। माननीय पार्षद श्रीमति आबिदा बानो चौहान ने कहा कि जल संचयनी में स्थित

माननीय पार्षद श्री विजय कुमार ने 27 पार्षदों के हस्ताक्षर प्राप्त प्रस्ताव पढ़ते हुये कहा कि केन्द्र सरकार शहर में सिलरेज योजना को लागू करने के लिये 3000 करोड़ रुपये देने के लिये तैयार है, बशर्त कि नगर पारिषद 10 प्रतिशत भूमि की राशि 10 प्रतिशत देने के लिये तैयार हो इस योजना को प्रोत्साहित के लिये एस टी पी निर्माण जरूरी है। अतः देवापुरा केन्द्रीय बस डिपो को 6 M.D. STP का निर्माण करके 1.275 हेक्टेयर भूमि एवं नानी बीड सालासर रोड को 10 M.D. STP निर्माण हेतु 2.48 हेक्टेयर भूमि एवं स्मृतिवन में सावली रोड का आन्तरिक एवं बाह्य रोड हेतु 2.48 हेक्टेयर स्थित वन भूमियों का डायवर्जन करने हेतु नगर परिषद सीकर को NOC दी जानी चाहिये इस पर बाद विचार विमर्श उक्त भूमियाँ की आवक कर के लिये अनुमति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया जिस हेतु नगर परिषद को 3000 करोड़ की राशि में से 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की रजिस्ट्रार जनरल को स्वीकृति का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।

इसके पश्चात सभापति महोदया द्वारा देश का मान प्रति धन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की।

राजेश्वरी देवी

सभापति
नगर परिषद, सीकर
नगर परिषद, सीकर

सचिव

नगर परिषद, सीकर

आयुक्त
नगर परिषद, सीकर
नगर परिषद, सीकर

दिनांक :- 05/3/2015

क्रमांक :- 214-276

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सभापति महोदया, नगर परिषद, सीकर
2. माननीय श्री महादेव सिंह जी खण्डेला, सांसद, विधानसभा - 1, सीकर जिला, नगर
3. माननीय श्री रतनलाल जी जलधारी, विधायक, विधानसभा - 1, सीकर जिला, नगर
4. श्रीमान निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर
5. श्रीमान जिला कलेक्टर, सीकर
6. श्रीमान उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानिय निकाय विभाग, जयपुर
7. उपसभापति महोदया, नगर परिषद, सीकर
8. समस्त पार्षदगण, नगर परिषद, सीकर
9. अधिशापी अभियन्ता, नगर परिषद, सीकर
10. सचिव, नगर परिषद, सीकर
11. लेखाधिकारी, नगर परिषद, सीकर

सचिव नगर परिषद

20-01-2015

अधिशापी अभियन्ता
नगर परिषद, सीकर